<u>14.47 hrs.</u>

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at forty-seven minutes

past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we will take up Matters under Rule 377.

Title: Need to provide Compensation to the people displaced due to Swaranrekha Project, Jharkhand.

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, कई दशक बीत जाने के बाद भी स्वर्ण रेखा परियोजना चांडिल से हुये विस्थापित परिवार को अभी तक उनकी भूमि का मुआवजा एवं पुनर्वास की सुविधा एवं उनके परिवार के लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है और विकास पुस्तिका भी अभी तक बहुत लोगों को नहीं मिली है। यह योजना तीन राज्यों को बिजली पैदा कर उनका वितरण एवं इन राज्यों के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये सिंचाई सुविधा मुहैया करने हेतु शुरु की है, परन्तु जिन गांवों को पहले फेज में मुआवजा देना था, उनको न देकर थर्ड फेज के लोगों को मुआवजा दिया जिसके कारण बरसात के दिनों में फर्स्ट फेज वाले गांव डूबते हैं और उन्हें क्षतिपूर्ति भी नहीं दी जाती है। साथ ही डैमे का काम अधूरा पड़ा है।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि स्वर्ण रेखा परियोजना के कार्यों की समीक्षा की जाये और समीक्षा के दौरान इसमें पाये जाने वाले दोाी अधिकारियों को सजा दी जाये और विस्थापित परिवार के लोगों को जो उपरोक्त सुविधा जिन्हें नहीं मिली है, उनको दी जाये।